राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांकः–स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3500 / 2022 दिनांक : 29.11.2022

श्रीमती भारती पंवार (RJ0926), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड नागौर को दिनांक 01.12.2022 से 29.05.2023 तक ***180*** दिवस का ***मातृत्व अवकाश*** *(द्वितीय संतान)* स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती इन्दु *उज्ज्वल* (RJ0701), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर को श्रीमती भारती पंवार के उक्त ***मातृत्व अवकाश*** की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ–साथ प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड नागौर के पद का ***अतिरिक्त कार्यभार*** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्द्वारा ***पदस्थापित/नियुक्त*** कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैंः–

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्व निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
2. **श्रीमती इन्दु *उज्ज्वल*** (RJ0701), जिनको प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड नागौर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,

29.11.2022

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांकः–स्था.बी.2 (4)/96/2015/ 7936 . दिनांक 29.11.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता को उनके पत्रांक 6303 दिनांक 05.11.2022 के सन्दर्भ में ।
3. **श्रीमती भारती पंवार** (RJ0926), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड नागौर।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड नागौर ।
5. **श्रीमती इन्दु *उज्ज्वल*** (RJ0701), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण–पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

29.11.2022

सहायक रजिस्ट्रार